बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र06–विविध–32 / 2011 – 3682 खाद्य–पटना / दिनांक– 28.07.17

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन / प्रत्यर्पण एवं रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग :– सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना –17408 दिनांक 30.12.2016 एवं विभागीय पत्रांक – 269, दिनांक 24.01.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शामिल तीन नई सेवाओं यथा नये राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन / नाम जोड़ना / नाम हटाना) एवं राशन कार्ड का प्रत्यर्पन / रद्दीकरण के लिए एन0आई0सी0, पटना के द्वारा सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया जिसकी जांच एन0आई0सी0, पटना द्वारा की गयी है। उक्त कार्य हेतु साफ्टवेयर एन0आई0सी0, पटना के द्वारा सभी जिलों को उपलब्ध कराया गया है जिसके आधार पर ही पात्र लाभुकों को नियमानुसार जांचोपरांत नया राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा तथा नये पात्र लाभुकों का नाम जोड़ना, अपात्र लाभुकों का नाम हटाना, नाम संशोधन एवं अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड का प्रत्यर्पण का कार्य किया जाएगा ।

'बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016' के अनुसार उक्त तीनों सेवाओं हेतु नाम निर्दिष्ट लोक सेवक के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी नामित है ।

उल्लेखनीय है कि राज्य में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) के आधार पर विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आधार पर NFSA के लाभुकों का आच्छादन किया गया है, जिसमें पूर्ववर्ती अंत्योदय योजना के लाभार्थी भी शामिल है। विभागीय पत्रांक – 6632, दिनांक 19.08.2015 एवं पत्रांक – 7530, दिनांक 17.09.2015 द्वारा राशन कार्ड निर्गत करने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जिलों को दिया गया था। SECC के जनगणना के आधार पर लाभार्थियों का कुल डाटाबेस दो भागों में विभक्त है, NFSA लाभार्थी एवं दूसरा Non-NFSA लाभार्थी। उल्लेखनीय है कि RTPS से राशन कार्ड निर्गत करने के पूर्व जॉचोपरांत राशन कार्ड निर्गत किया जाना है। इसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है :–'

(i) RTPS के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के जॉचोपरांत सर्वप्रथम वर्तमान NFSA के लाभुकों के डाटाबेस से छानबीन कर duplication की जॉच की जानी है एवं यदि किसी व्यक्ति का नाम डाटाबेस में उपलब्ध नहीं है या किसी परिवार के सदस्य का नाम राशन कार्ड में नहीं हैं तो उनकी विवरणी उस डाटाबेस में जोड़ने की कार्रवाई करनी होगी। तदुपरांत विहित प्रक्रिया अपनाकर Non-NFSA डाटाबेस से भी उक्त व्यक्ति के duplication की जांच कराने के उपरांत ही राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा।